न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 00119/2018

उनवान

1. मंगलीया पिता कुबेर जाति सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।
2. गंगा बेवा कुबेर जाति सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।
3. डूंगर पिता कचरिया जाति सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।
4. गलाब पिता कचरिया जाति सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।
5. राजु पिता कचरिया जाति सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।

–: वादीगण।

बनाम

1. स्व. कचरिया पिता खेमला जाति सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा (राज.) के वारिसान :–
   1/1. मणिलाल पिता कचरिया जाति सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।
   1/2. धुली पत्नि गौतम पुत्री कचरिया जाति सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।
   1/3. राधा पत्नि मांगीया पुत्री कचरिया जाति सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।
   1/4. सविता पत्नि गौतम पुत्री कचरिया जाति सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।
2. स्व. लालजी पिता खेमला जाति सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.) के वारिसान :–
   2/1. कुबेर पिता लालजी सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।
   2/2. रमेश पिता लालजी सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।
3. रतन पत्नि पेमजी सरगडा जाति सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।
4. तहसीलदार तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।

–: प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
एवं 136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 30.12.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 17:12:43 IST
Reason: SelfAttested

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है [illegible] 3 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 44 पुराना [illegible] आराजी नम्बरान है:–

सर्वे नम्बर	रकबा
513	0.06
531	0.06
550	0.08
551	0.10
570	0.05
577	0.06

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

588	0.03
592	0.05
3919	0.04
4409	0.03
4410	0.03
4487	0.07

कुल किता 12 कुल रकबा 0.66 है0

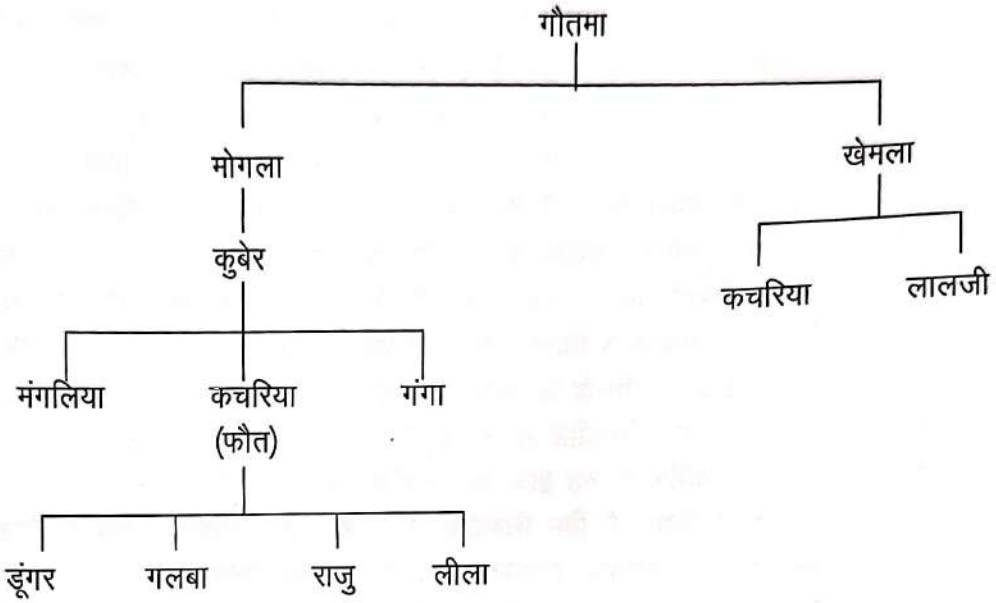

वाके गांव. बोरी तहसील गढी जिला बांसवाडा में स्थित है। उपरोक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 01 से 03 की पैतृक होकर संयुक्त स्वामित्व की है । वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 01 से 03 के पितृ पुरुष श्री गौतंमा होकर वंशावली निम्नानुसार है –

वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य होकर अपने अपने हिस्से की भूमि का पैतृक बटवारा कर कृषि कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे है। वादीगण के पितृ पुरूष की मृत्यु पश्चात् प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के पिता ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर वादीगण की जानकारी के बिना उनके पीछे पीछे अपना नाम दर्ज रेकार्ड करवा लिया तथा वांदीगण का नाम दर्ज नही किया। जिससे वादीगण का नाम दर्ज नही होकर प्रतिवादीगण का ही नाम चलता रहा। वादीगण को उक्त खातेदार भूमि मे खातेदार घोषित करना आवश्यक है। इस हेतु उक्त राजस्व त्रुटी को दुरस्त करना आवश्यक है। इस हेतु 136 LR Act के तहत वाद पेश है। वादीगण के पिछ पीछे जो प्रतिवादीगण का नाम दर्ज किया गया था उसमें वादीगण को उक्त खाते का सहखातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है। वादीगण के संयुक्त स्वामित्व की उक्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने उक्त भूमि मे से एक आराजी नम्बर प्रतिवादी नम्बर 4 को विक्रय कर दिया है जो प्रतिवादी नम्बर 4 गैरकानुनी रूप से निर्माण करने जा रहा [illegible] रिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक है। वाद कारण वा[illegible]म्बर 4 मौके पर निर्माण करने आई तब रोके जाने पर भी नही मानी और वादीगण ने दस्तावेज प्राप्त किये तब पता चला। वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित किये जाने तथा दोराने वाद वादीगण किसी प्रकार का निर्माण करे तो जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने बाबत् वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश हुआ।

वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 04 की ओर से श्री तस्लीम अहमद अभिभाषक का वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 04

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 17:12:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

द्वारा जवाब मय काउण्टरसुट पेश कर कथन किया आराजी सर्वे नं. 3919 रकबा 0.04 हे. वाके ग्राम बोरी प्रतिवादी सं. 4 ने खातेदार कचरिया से रजिस्टर्ड दस्तावेज से क्रय किया जिसका नामान्तरकरण सं. 1979 दिनांक 07.10.2013 को विधि अनुकुल प्रतिवादी सं. 4 के नाम खोला गया हैं एंव प्रतिवादी सं. 4 विधि अनुकुल खातेदार होकर उपयोग व उपभोग कर रही है। उक्त भूमि कचरीया पिता खेमला के खातेदारी की थी जिसे कचरीया ने प्रतिवादी सं. 4 श्रीमती रतन को विधि अनुकुल विक्रय की है वादीगण चरीया पिता खेमला की वंशावली मे नही आते है। जिसकी वादीगण द्वारा दर्शित वंशावली से पुष्टि होती है जिस कारण वादीगण का वाद कानूनन मेन्टेनेबल न होकर काबील निरस्ती के है। वादीगण का यह कथन कि उक्त भूमि एक ही परिवार के सदस्य होने से अपने हिस्से की भूमि का पैतृक बटवारा कर कृ षि कर अपने परिवार का भरतण पौषण कर रहे है उक्त कथन मनगढन्त व मिथ्या हैं जबकि मौके पर प्रतिवादी सं. 4 की खातेदारी व कब्जा है। वस्तुरिथति यह है कि उक्त खाता कचरीया पिता खेमला था एंव कचरीया पिता खेमला द्वारा विधि अनुकुल विक्रय कर हस्तान्तरित की गई है ऐसी स्थिति में वादीगण के हक व अधिकार समाप्त हो चुके हैं जिस कारण वादीगण का वाद काबील निरस्ती के है। प्रतिवादी सं. 4 के बोल्डर पडे हुवे है एंव प्रतिवादी सं. 4 मौके पर फेन्सींग व बाउण्ड्रीवाल बनाने जाने पर वादीगण मौके पर विवाद कर प्रतिवादी सं. 4 के शांतिपूर्ण उपयोग व उपभोग में बाधा व रूकावट उत्पन्न करते है जिसका वादीगण को कोई हक व अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र के आधार पर भूमि क्रय करने से विक्रयपत्र को निरस्ती के अधिकार सिविल न्यायालय को है। जिस कारण वादीगण का वाद कानूनन पौषणीय न होकर काबील निरस्ती के है। प्रतिवादी सं. 4 विधि अनुकुल खातेदार होकर काबीज है । ऐसी स्थिति में वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी सं. 4 मौके पर फेन्सींग व बाउण्ड्रीवाल बनाने जाने पर वादीगण मौके पर विवाद कर प्रतिवादी सं. 4 के शांतिपूर्ण उपयोग व उपभोग में बाधा व रूकावट उत्पन्न करते है जिसका वादीगण को कोई हक व अधिकार नहीं है ऐसी स्थिति में वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादीगण का न तो खाता है न ही कब्जा है जिस कारण वादीगण का वाद कानूनन पौषणीय न होकर काबील निरस्ती के है। प्रतिवादी सं. 4 खातेदार होकर काबीज है एंव उसके द्वारा उक्त भूमि का सिमांकन कर बाउण्ड्रीवाल बनाना चाह रही है जिसमें वादीगण बाधा व रूकावट उत्पन्न कर रहे है। जिस कारण काउण्टरसुट का व्यवहार कारण उत्पन्न हुआ है । प्रतिवादी सं. 4 के विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। प्रतिवादी सं. 4 विरूद्ध वादीगण निम्नानुसार काउण्टरसूट पेश कथन किया कि आराजी सर्वे नं. 3919 कबा 0.04 हे. वाके ग्राम बोरी प्रतिवादी सं. 4 ने खातेदार कचरिया से रजिस्टर्ड दस्तावेज से क्रय किया जिसका नामान्तरकरण सं. 1979 दिनांक 07.10.2013 को विधि अनुकुल प्रतिवादी सं. 4 के नाम खोला गया हैं एंव प्रतिवादी सं. 4 विधि अनुकुल खातेदार होकर उपयोग व उपभोग कर रही है। प्रतिवादी सं. 4 के बोल्डर पडे हुवे है एंव प्रतिवादी सं. 4 मौके पर फेन्सींग व बाउण्ड्रीवाल बनाने जाने पर वादीगण मौके पर विवाद कर प्रतिवादी सं. 4 के शांतिपूर्ण उपयोग व उपभोग में बाधा व रूकावट उत्पन्न करते है जिसका वादीगण को कोई हक व अधिकार नहीं है वादीगण संख्या मे अधिक होने से डरा धमकाकर लड़ाई झगड़ा कर बाउण्ड्रीवाल के निर्माण को रोक रहे है। वादीगण प्रतिवादी सं. 4 के उपयोग, उपभोग व बाउण्ड्रीवाल के निर्माण में बाधा व रूकावट स्वयं व अपने प्रतिनिधी से नहीं करवाये इस हेतु पाबंद करने धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत् काउण्टरसुट पेश किया। काउण्टरसुट का व्यवहार कारण वादीगण द्वारा वाद पेश करने से उत्पन्न हुआ है। प्रतिवादी सं. 4 का काउण्टरसुट धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर बहक प्रतिवादी सं. 4 विरूद्ध वादीगण धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री कि आराजी सर्वे नं. 3919 रकबा 0.04 हे. वाके ग्राम बोरी प्रतिवादी सं. 4 मौके पर फेन्सींग व बाउण्ड्रीवाल बनाने जाने पर वादीगण मौके पर विवाद कर प्रतिवादी सं. 4 के शांतिपूर्ण उपयोग व उपभोग में बाधा व रूकावट

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 17:12:43 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

उत्पन्न नहीं करे एंव वादीगण डरा धमकाकर लड़ाई झगड़ा कर बाउण्ड्रीवाल के निर्माण को न रोके न वादीगण प्रतिवादी सं. 4 के उपयोग, उपभोग व बाउण्ड्रीवाल के निर्माण में बाधा व रूकावट स्वयं व अपने प्रतिनिधी से नहीं करवाये इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण काउण्टरसुट का जवाब पेश करने हेतु नियत किये जाने पर वादीगण की ओर से काउण्टरसुट का जवाब पेश नहीं किया गया। प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु नियत किये जाने पर वादीसाक्ष्य स्वरूप निम्नांकित गवाह प्रस्तुत किये गये :–

नाम	जाति	निवासी	गवाह
मंगलिया पिता कुबेर	सरगडा	बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।	PW-1

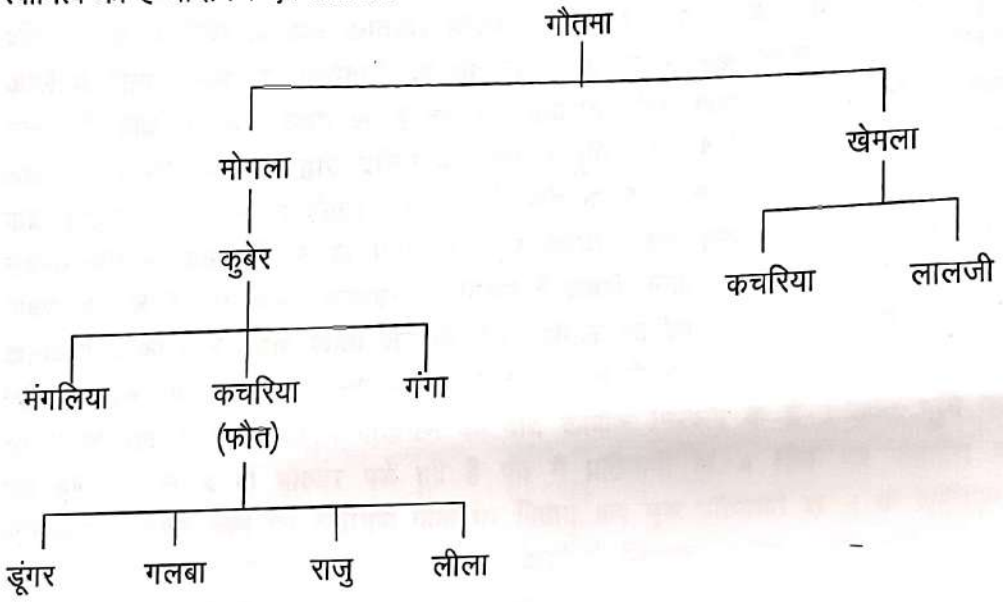

प्रकण में मंगलिया पिता कुबेर तिरगर जाति सरगडा **PW-1** द्वारा शपथ–पत्र पेश कर कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 3 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 44 पुराना 47 के निम्न सर्वे नं. 513 रकबा 0.06, सर्वे नम्बर 531क रकबा 0.06, सर्वे नम्बर 550 रकबा 0.08, सर्वे नम्बर 551 रकबा 0.10, सर्वे नम्बर 570 रकबा 0.05, सर्वे नम्बर 577 रकबा 0.06, सर्वे नम्बर 588 रकबा 0.03, सर्वे नम्बर 592 रकबा 0.05, सर्वे नम्बर 3919 रकबा 0.04, सर्वे नम्बर 4409 रकबा 0.03, सर्वे नम्बर 4410 रकबा 0.03 तथा सर्वे नम्बर 4487 रकबा 0.07 कुल किता 12 रकबा 0.66 हे0 गांव बोरी तहसील गढ़ी में स्थित है। उपरोक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की पैतृक होकर संयुक्त स्वामित्व की है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की वंशावली निम्नानुसार है :–

वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य होकर अपने अपने हिस्से की भूमि का पैतृक बटवारा कर कृषि कर अपने परिवार का पोषण कर रहे है। वादीगण के पितृपुरूष की मृत्यु पश्चात् प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिता ने राजस्व कर्मचारियों से मिलिभगत कर उनकी पीठ पिछे अपना नाम दर्ज करवा लिया जिससे वादीगण का नाम दर्ज नहीं होकर प्रतिवादीगण का नाम चलता रहा। लेकिन मौके पर कब्जा वादीगण का ही चलता रहा है। उपरोक्त राजस्व त्रृटी को दुरस्त कर वादीगण [illegible] घोषित करना आवश्यक हैं। प्रतिवादीगण ने फर्जी तरीके से [illegible] प्रतिवादी संख्या 04 को विक्रय कर दिया है। प्रतिवादी इस पर गैर कानूनी [illegible] निर्माण करने जा रहा है जिसे स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा वाद पेश होने के 8 दिन पूर्व अतिक्रमण का प्रयास करने से वादीगण द्वारा नकल प्राप्त करने से उक्त जानकारी होने से वाद कारण उत्पन्न हुआ है।

- PW–1 मंगलिया पिता कुबेर जाति सरगडा निवासी बोरी से प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा जिरह की जाने पर कथन किया कि यह बात सही है कि मैने राजस्व रिकॉर्ड पेश नहीं किये है। यह कहना सही है कि वंशावली का भी राजस्व रिकार्ड पेश नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 17:12:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी जिला बांसवाड़ा

किया है। यह बात गलत है कि वादग्रस्त भूमि कचरा की खाते हो। अजखुद कहाँ हमारे शामलाती खाते की थी। यह बात मुझे नहीं पता की कचरा ने भूमि प्रतिवादी को बेची है। जमीन हमारी है रतन ने खता कैसे करवाया यह मुझे पता नहीं है। रतन के नाम मोटेशन हुआ उस पर मैने कोई कार्यवाही नहीं की। अजखुद कहा दावा पेश किया। यह बात सही है कि हमने रजिस्टी निरस्त का कोई दावा नहीं किया है। यह कहना गलत है कि पत्थर रतन ने डाले है। मौके पर नपती करवाई थी। यह बात गलत है कि मौके पर विवाद चल रहा है यह बात सही है कि मौके पर फेंसीग करने आते है।

प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत किये जाने पर प्रतिवादी साक्ष्य स्वरूप निम्नांकित गवाह प्रस्तुत किये गये।

नाम	जाति	निवासी	गवाह
रतन पत्नि प्रेमजी	सरगडा	बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।	DW-1

प्रकरण में रतन पत्नि प्रेमजी जाति सरगडा **DW-1** द्वारा शपथ–पत्र पेश कर कथन किया कि आराजी सर्वे नं. 3919 रकबा 0.04 हे. वाके ग्राम बोरी मुझ प्रतिवादी सं. 4 रतन ने खातेदार कचरिया से रजिस्टर्ड दस्तावेज से क्रय किया जिसका नामान्तरकरण सं. 1979 दिनांक 07.10.2013 को विधि अनुकुल मुझ प्रतिवादी सं. 4 के नाम खोला गया हैं एंव मैं प्रतिवादी सं. 4 विधि अनुकुल खातेदार होकर उपयोग व उपभोग कर रही हूँ। उक्त भूमि कचरीया पिता खेमला के खातेदारी की थी जिसे कचरीया ने मुझ प्रतिवादी सं. 4 श्रीमती रतन को विधि अनुकुल विक्रय की है वादीगण कचरीया पिता खेमला की वंशावली मे नही आते है। जिसकी वादीगण द्वारा दर्शित वंशावली से पुष्टि होती है जिस कारण वादीगण का वाद कानूनन मेन्टेनेबल न होकर काबील निरस्ती के है। उक्त भूमि एक ही परिवार के सदस्य होने से अपने हिस्से की भूमि का पैतृक बटवारा कर कृषि कर अपने परिवार का पौषण कर रहे है उक्त कथन मनगढन्त व मिथ्या हैं जबकि मौके पर मुझ प्रतिवादी सं. 4 की खातेदारी व कब्जा है। उक्त खाता कचरीया पिता खेमला था एंव कचरीया पिता खेमला द्वारा विधि अनुकुल विक्रय कर हस्तान्तरित की गई है ऐसी स्थिति में वादीगण के हक व अधिकार समाप्त हो चुके हैं जिस कारण वादीगण का वाद काबील निरस्ती के है । उक्त भूमि पर मुझ प्रतिवादी सं. 4 के बोल्डर पडे हुवे है एंव मै प्रतिवादी सं. 4 मौके पर फेन्सींग व बाउण्ड्रीवाल बनाने जाने पर वादीगण मौके पर विवाद कर मुझ प्रतिवादी सं. 4 के शांतिपूर्ण उपयोग व उपभोग में बाधा व रूकावट उत्पन्न करते है जिसका वादीगण को कोई हक व अधिकार नहीं है ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र के आधार पर भूमि क्रय करने से विक्रय पत्र को निरस्ती के अधिकार सिविल न्यायालय को है। जिस कारण वादीगण का वाद कानूनन पौषणीय न होकर काबील निरस्ती के है। धारा 136 एल.आर.एक्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ पौषणीय नहीं होने से वाद काबील निरस्ती के है। प्रतिवादी सं. 4 विधि अनुकुल खातेदार होकर काबीज है। ऐसी स्थिति में वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादीगण का न तो खाता है न ही कब्जा है जिस कारण वादीगण का वाद कानूनन पौषणीय न होकर काबील निरस्ती के है। प्रतिवादी सं. 4 खातेदार होकर काबीज हूँ एंव मेरे द्वारा उक्त भूमि पर फेन्सींग करवाना चाह रही हूँ जिसमें वादीगण बाधा व रूकावट उत्पन्न कर रहे है। जिस से काउण्टरसूट का व्यवहार कारण उत्पन्न हुआ है । मुझ प्रतिवादी सं. 4 का कोई विवाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। वादीगण संख्या मे अधिक होने से डरा धमकाकर लडाई झगडा कर बाउण्ड्रीवाल के निर्माण को रोक रहे है। आराजी सर्वे नं. 3919 रकबा 0.04 है.वाके ग्राम बोरी मुझ प्रतिवादी सं. 4 जो मौके पर फेन्सींग व बाउण्ड्रीवाल बनाने जाने पर वादीगण मौके पर विवाद कर मुझ प्रतिवादी सं. 4 के शांतिपूर्ण उपयोग व उपभोग में बाधा व रूकावट उत्पन्न नहीं करे एंव वादीगण डरा धमकाकर लडाई झगडा कर बाउण्ड्रीवाल के निर्माण को न रोक न वादीगण मुझ प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 17:12:43 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी

सं. 4 के उपयोग, उपभोग व बाउण्ड्रीवाल के निर्माण में बाधा व रूकावट स्वयं व अपने प्रतिनिधी से नहीं करवाये इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के कथन किये।

- **DW-1** रतन पत्नि प्रेमजी जाति सरगडा द्वारा दस्तावेज सर्वे नम्बर 3919 रजिस्टी से खरीद जिसकी खाते की नकल प्रदर्श–1 प्रस्तुत की। प्रतिवादी रतन से वादी अभिभाषक द्वारा जिरह की जाने पर कथन किया कि यह मैं नहीं जानती की खेमला व मोगला भाई है। यह बात सही है कि खेमला के तीन पुत्र हवजी, कचरिया, लालजी है। यह बात सही है कि मोगला का एक पुत्र कुबेर है। यह बात सही है कि कुबेर के दो पुत्र मंगलिया व कचरिया थे। मेरी जमीन का आराजी नम्बर मुझे याद नहीं लेकिन मेरी 4 एयर है। यह बात सही है कि मैने खैमला व मोगला का बटवारानामा नहीं देखा। यह बात सही है कि वादग्रस्त भूमि का सीमांकन करने तहसीलदार पटवारी आये थे। यह बात गलत है कि वादग्रस्त भूमि के सीमांकन में 4 एयर जमीन नहीं हुई है। अजखुद कहा कि 4 एयर जमीन नापकर मुझे दी थी। यह बात गलत है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी के पत्थर हो। यह बात गलत है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा है। यह बात गलत है कि 2015 में मैंने वादीगण के विरूद्ध दावा पेश किया हो और कब्जा के अभाव में खारीज हुआ हो। यह बात गलत है कि मैंने 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पेश किया है। और उसमें वादीगण का कब्जा माना हो। यह बात गलत है कि 28.3.2017 में कचरिया ने स्टाम्प प्रदर्श 01 लिख दिया हो कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा हो और उनके हिस्से की हो।

प्रकरण में बकुलाय की बहस सुनि गई। वादी अभिभाषक द्वारा दावे को ही अपनी बहस होना बताया। प्रतिवादी संख्या 04 के अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रतिवादीया ने नियमानुसार भूमि खरिद कर कब्जा प्राप्त किया है। वादीगण द्वारा खातेदार घोषित होने के सम्बन्ध कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। पैतृक भूमि होने का कोई दस्तावेज वादीगण ने पेश नहीं किया है। रजिस्ट्री निरस्त करने के अधिकार इस न्यायालय को नहीं हैं अतः वादीगण का वाद निरस्त किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन करने एवं वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन कर प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है।

<u>तनकी संख्या 01</u> :– आया वाद–पत्र में वर्णित आराजी वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की पैतृक सम्पत्ति (गोतमा की) है।

(वादीगण साबित करें)

उक्त तनकी के समर्थन में वादीगण द्वारा मंगलिया पिता कुबेर जाति सरगडा का शपथ–पत्र पेश किया जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की पैतृक है। जो पारिवारीक बटवारे में वादीगण के हिस्से में आयी है। रिकार्ड में उक्त भूमि कचरिया के नाम रह गई जिसका प्रतिवादीगण ने फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 4 को बेच दी। उक्त तनकी के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 04 रतन का शपथ–पत्र पेश कर कथन किया। वादग्रस्त भूमि सर्वे नम्बर 3919 रकबा 0.04 हे0 भूमि कचरिया पिता खेमला के नाम दर्ज रिकार्ड थी। जिससे रजिस्टर्ड दस्तावेज से क्रय किया। जिसका नामान्तरकरण सं. 1979 दिनांक 7.10.2013 को विधि अनुसार प्रतिवादी संख्या 04 के पक्ष में खोला गया। तथा प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा ... सम्बन्धित में दस्तावेज जमाबंदी संवत 2075 से 2078 प्रदर्श–1 पेश की। वादीगण ने वादग्रस्त भूमि उनकी पैतृक होने से सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध एवं प्रतिवादी संख्या 04 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 17:12:43 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी
जिला बांसवाड़ा

<u>तनकी संख्या 02</u> :— आया प्रतिवादी के पिता द्वारा गलत तरीके से उक्त आराजी में पितृ पुरूष की मृत्यु पश्चात वादी का नाम दर्ज नही होने दिया गया जिसे, दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

(वादीगण साबित करें)

उक्त तनकी के समर्थन में वादीगण द्वारा मंगलिया पिता कुबेर जाति सरगडा का शपथ–पत्र पेश किया जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की पैतृक है। जो पारिवारीक बटवारे में वादीगण के हिस्से में आयी है। रिकार्ड में उक्त भूमि कचरिया के नाम रह गई जिसका प्रतिवादीगण ने फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 4 को बेच दी। लेकिन वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पैतृक होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 03</u> :— आया संयुक्त स्वामित्व की भूमि में से एक आराजी प्रतिवादी संख्या 04 को गलत तरीके से बेचा गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 04 गैर कानूनी रूप से निर्माण कर रहा है, जिसे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक है।

(वादीगण साबित करें)

उक्त तनकी के समर्थन में वादीगण द्वारा मंगलिया पिता कुबेर जाति सरगडा का शपथ–पत्र पेश किया जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की पैतृक है। जो पारिवारीक बटवारे में वादीगण के हिस्से में आयी है। रिकार्ड में उक्त भूमि कचरिया के नाम रह गई जिसका प्रतिवादीगण ने फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 4 को बेच दी। उक्त तनकी के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 04 रतन का शपथ–पत्र पेश कर कथन किया। वादग्रस्त भूमि सर्वे नम्बर 3919 करबा 0.04 हे0 भूमि खेमला के नाम दर्ज रिकार्ड थी। जिससे रजिस्टर्ड दस्तावेज से कय किया। जिसका नामान्तरकरण सं. 1979 दिनांक 7.10.2013 को विधि अनुकुल प्रतिवादी संख्या 04 के पक्ष में खोला गया। तथा प्रतिवादी संख्या 04 खातेदार दर्ज रिकार्ड है इस सम्बन्ध में दस्तावेज जमाबंदी संवत 2075 से 2078 प्रदर्श–1 पेश की। अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 04</u> :— आया प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा सर्वे नम्बर 3919 जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज कचरिया से कय किया गया, तथा प्रतिवादी संख्या 04 उक्त आराजी का अनुकूल खातेदार है जिस पर वादीगण अनाधिकृत दखल न करें इस हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण को पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

(प्रतिवादीगण साबित करें)

उक्त तनकी के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा दस्तातेज जमाबंदी संवत् 2075 से 78 प्रदर्श – 1 पेश कर प्रतिवादी संख्या 04 ने अपने शपथ–पत्र एवं वादी अभिभाषक द्वारा की गई जिरह में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि सर्वे नम्बर 3919 रकबा 0.04 हे0 भूमि प्रतिवादी संख्या 04 के नाम द[illegible] वादीगण द्वारा व्यवधान पैदा कर प्रतिवादी के शांतिपूर्ण काश्त में बाधा उ[illegible] रही हैं। उक्त दस्तावेज के आवलोकन से स्पष्ट होता हैं कि [illegible] प्रतिवादी संख्या 04 के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। अतः उक्त तन[illegible] में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 17:12:43 IST
Reason: SelfAttested

<u>तनकी संख्या 05</u> :— आया प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा विक्रय पत्र से सर्वे नम्बर 3919 की भूमि क्रय की गई है, जिसकी निरस्ती का अधिकार सिविल न्यायालय को है, अतः यह वाद काबिल निरस्ती है। कानूनी रूप से निर्माण कर रहा है, जिसे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक है।

(प्रतिवादीगण साबित करें)

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] जिला बांसवाड़ा

उक्त तनकी के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 04 रतन का शपथ–पत्र पेश कर कथन किया। कि वादग्रस्त भूमि सर्वे नम्बर 3919 करबा 0.04 हे0 भूमि कचरिया पिता खेमला के नाम दर्ज रिकार्ड थी। जिससे रजिस्टर्ड दस्तावेज से क्रय किया। जिसका नामान्तरकरण सं. 1979 दिनांक 7.10.2013 को विधि अनुकुल प्रतिवादी संख्या 04 के पक्ष में खोला गया। तथा प्रतिवादी संख्या 04 खातेदार दर्ज रिकार्ड है इस सम्बन्ध में दस्तावेज जमाबंदी संवत 2075 से 2078 प्रदर्श–1 पेश की। तथा दावे के संलग्न प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2068 से 2071 की छाया प्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी संख्या 04 रजिस्टर्ड बेचान के माध्यम से खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 04 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 06</u> **अनुतोष** :– तनकी संख्या 01, 02, 03 वादीगण के विरूद्ध एवं तनकी संख्या 01, 04 व 05 प्रतिवादी संख्या 04 के पक्ष में निर्णित जाकर अधिक तनकीया प्रतिवादी संख्या 04 के पक्ष में निर्णित की गई हैं।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद व संलग्न दस्तावेजो एवं प्रतिवादी संख्या 04 की ओर प्रस्तुत जवाब व दस्तावेज तथा दोनो पक्षो की साक्षो का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की पैतृक हो इसका कोई दस्तावेज वादीगण द्वारा पेश नहीं किया गया है। वादीगण का वाद खारीज कर वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 04 की ओर से प्रस्तुत काउण्टरसुट व संलग्न दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2075 से 78 प्रदर्श–1 एवं साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी संख्या 04 वादग्रस्त भूमि में नियमानुसार खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त वादग्रस्त भूमि सर्वे नम्बर 3919 रकबा 0.04 हे0 पर वादीगण द्वार व्यवधान पैदा कर प्रतिवादी संख्या 04 के शांतिपूर्ण काश्त में बाधा उत्पन्न की जा रही है। वादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित हैं।

अतः प्रतिवादी संख्या 04 की ओर से प्रस्तुत काउण्टरसुट प्रतिवादी संख्या 04 के पक्ष में निर्णित किया जाकर वादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर वादीगण को आदेशित किया जाता हैं कि पटवार हल्का बोरी के मौजा बोरी की जमाबंदी संवत् 2075 से 78 में दर्ज खाता संख्या 793 नया 716 पुराना के खसरा 3919 रकबा 0.04 हे0 भूमि में किसी प्रकार का अनुचित कार्य, अतिक्रमण, निर्माण नही करें एंव न ही किसी अन्य से कोई ऐसा कृत्य करावें जिससे प्रतिवादी संख्या 01 को अपनी खातेदारी भूमि में व्यवधान पैदा होवे।

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

आदेश

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद खारीज कर वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 04 की ओर प्रस्तुत काउण्टरसुट स्वीकार कर प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर वादीगण को आदेशित किया जाता हैं कि पटवार हल्का बोरी के मौजा बोरी की जमाबंदी संवत् 2075 से 78 में दर्ज खाता संख्या 793 नया 716 पुराना के खसरा 3919 रकबा 0.04 हे0 भूमि में किसी प्रकार का अनुचित कार्य, अतिक्रमण, निर्माण नही करें एंव न ही किसी अन्य से कोई ऐसा कृत्य करावें जिससे प्रतिवादी संख्या 01 को अपनी खातेदारी भूमि में व्यवधान पैदा होवे। इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 17:12:43 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 30/12.2025 को सरे ईजराय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : श्रवण सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 00119/2018

उनवान

1. मंगलीया पिता कुबेर जाति सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।
2. गंगा बेवा कुबेर जाति सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।
3. डूंगर पिता कचरिया जाति सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।
4. गलाब पिता कचरिया जाति सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।
5. राजु पिता कचरिया जाति सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।

—: वादीगण।

बनाम

1. स्व. कचरिया पिता खेमला जाति सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा (राज.) के वारिसान :—
   - 1/1. मणिलाल पिता कचरिया जाति सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।
   - 1/2. धुली पत्नि गौतम पुत्री कचरिया जाति सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।
   - 1/3. राधा पत्नि मांगीया पुत्री कचरिया जाति सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।
   - 1/4. सविता पत्नि गौतम पुत्री कचरिया जाति सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।
2. स्व. लालजी पिता खेमला जाति सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.) के वारिसान :—
   - 2/1. कुबेर पिता लालजी सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।
   - 2/2. रमेश पिता लालजी सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।
3. रतन पत्नि पेमजी सरगडा जाति सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।
4. तहसीलदार तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।

—: प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 17:12:43 IST
Reason: SelfAttested

<u>**वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 भू–राजस्व अधिनियम**</u>

निर्णय

दिनांक 30.12.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 04 की ओर प्रस्तुत काउण्टरसुट स्वीकार कर प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर वादीगण को आदेशित किया जाता हैं कि पटवार हल्का बोरी के मौजा बोरी की जमाबंदी संवत् 2075 से 78 में दर्ज खाता संख्या 793 नया 716 पुराना के खसरा 3919 रकबा 0.04 हे0 भूमि में किसी प्रकार का अनुचित कार्य, अतिक्रमण, निर्माण नही करें एंव न

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी जिला बांसवाड़ा

ही किसी अन्य से कोई ऐसा कृत्य करावें जिससे प्रतिवादी संख्या 04 को अपनी खातेदारी भूमि में व्यवधान पैदा होवे। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 30.12.25 को जारी की गई।

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		
कुल	शून्य	कुल	शून्य

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 17:12:43 IST
Reason: SelfAttested